(8)

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 30/03/2016

क्रमांक 736/762/2016/16 :– औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, कारखाना अधिनियम 1948, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, छ.ग.दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, उपादान भुगतान अधिनियम 1972, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 एवं छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट संबंधित निरीक्षक द्वारा विभागीय वेबपोर्टल में 48 घण्टे के भीतर ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अब्बास खान)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठां. क्रमांक 737/762/2016/16 नया रायपुर, दिनांक 30/03/2016

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. निज सहायक, मान मंत्रीजी, श्रम विभाग, छ.ग.शासन, रायपुर ।
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग,मंत्रालय, नया रायपुर
3. श्रमायुक्त,छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
4. मुख्य कारखाना निरीक्षक, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर ।
5. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंद्रावती भवन, नया रायपुर ।
6. समस्त–उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी /कारखाना निरीक्षक/श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक, छत्तीसगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।
7. समस्त– उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
8. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इंद्रावती भवन के पीछे, नया रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 11/03/2016

क्रमांक 537/371/2016/16 :– औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के अंतर्गत निम्न तथा मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों के लिए स्वअभिप्रमाणन की अनुमति देने की व्यवस्था निरूपित करने/अन्य पक्ष प्रमाण (Third Party Certification) की सुविधा अनुमान्य करने का परामर्श दिया गया है । इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न श्रम अधिनियमों में निरीक्षण की व्यवस्था के पुनर्स्थापन/पुनर्विचारण के प्रयोजनार्थ निम्न, मध्यम तथा उच्च श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाता है :–

उच्च/मध्यम/निम्न जोखिम वर्ग के कारखानें –

उच्च जोखिम–

(अ) कारखानें जो खतरनाक अथवा अत्यधिक खतरनाक प्रकृति के हैं, वे उच्च जोखिम वर्ग के अंतर्गत होंगे।

(ब) कारखानें जो खतरनाक न हों, परंतु वे जहां पर तालाबंधी, हड़ताल अथवा दुर्घटना हुआ हो ।

निरीक्षण– उपरोक्त "अ" एवं "ब" वर्ग कारखाना हेतु निरीक्षण प्रत्येक वर्ष शतप्रतिशत किया जाना है।

मध्यम जोखिम–

कारखानें जो खतरनाक प्रकृति के न हों परंतु 300 या 300 से अधिक श्रमिक हो किन्तु जहां पर किसी भी प्रकार दुर्घटना, हड़ताल अथवा तालाबंदी न हुआ हो वे मध्यम जोखिम वर्ग के अंतर्गत होंगे।

निरीक्षण–इस मध्यम जोखिम वर्ग के कारखानों का निरीक्षण शतप्रतिशत दो साल के अंतर्गत पूर्ण किया जाना है ।

निरंतर......2

निम्न जोखिम–

कारखानें जो खतरनाक प्रकृति के न हों परंतु 100 अथवा 100 से अधिक किन्तु 300 से कम श्रमिक हो एवं जहां पर किसी भी प्रकार दुर्घटना, हड़ताल अथवा तालाबंदी न हुआ हो वे निम्न जोखिम वर्ग के अंतर्गत होंगे।

निरीक्षण– इस निम्न जोखिम वर्ग के कारखानों का निरीक्षण शतप्रतिशत पांच साल के अंतर्गत पूर्ण किया जाना है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

9/3/16
(याकुब खेस्स)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठा. क्रमांक 538 **/371/2016/16** **नया रायपुर, दिनांक** 11 **/03/2016**

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, मान मंत्रीजी, श्रम विभाग, छ.ग.शासन, रायपुर ।
2. स्टॉफ आफिसर,अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर ।
4. मुख्य कारखाना निरीक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
5. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंद्रावती भवन, नया रायपुर ।
6. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय...
7. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय जिला–...
8. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9/3/16
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक– 30.03.2016

कमांक.731/676/2016/16, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के अंतर्गत निम्न तथा मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों (Medium Risk Industries) के लिए अन्य पक्ष प्रमाण (Third Party Certification) की सुविधा अनुमान्य करने का परामर्श दिया गया है ।

सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि ऐसे उद्योग/स्थापन यदि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, डीजीफासली (D.G.F.A.S.LI.) या सेन्ट्रल ब्यॉलर बोर्ड के द्वारा अनुमोदित अन्य पक्ष (Third Party) से श्रम अधिनियमों के अनुपालन का अंकेक्षण करा कर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक अपने क्षेत्राधिकार के निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें दैनन्दिन निरीक्षण की प्रकिया से मुक्त रखा जायेगा जो उद्योग/स्थापना निर्धारित समय–सीमा तक 30 जून तक अपनी विहित वार्षिक विवरणी अपलोड नहीं करेंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृ.क.732/676/2016/16
रायपुर, दिनांक – 30.03.16

प्रतिलिपि–

1 निज सहायक, मान मंत्रीजी, श्रम विभाग, छ.ग.शासन, रायपुर ।
2 स्टाफ आफिसर,अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,श्रम विभाग,मंत्रालय, रायपुर(छ.ग.)
3 श्रमायुक्त,छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
4 मुख्य कारखाना निरीक्षक, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, रायपुर ।
5 संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,छ.ग.रायपुर ।
6 विभाग के सभी संबंधित अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7 उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक–21.3.2016

क्रमांक. एफ 10–11/2015/16 :– कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कारखाना नियम 1962 में निम्नलिखित और संशोधित करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में ,–

नियम 5 में अंक एवं शब्द " 5 वर्ष" के स्थान पर अंक एवं शब्द " 10 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

GOVERNMENT OF CHHATISGARH
LABOUR DEPARTMENT
MANTRALAYA, MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR

//NOTIFICATION//

Naya Raipur, Dated-21/3/2016

No. F 10-11/2015/16 - In exercise of the powers conferred by Section 112 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948) the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Factories Rules, 1962, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

In Rule 5, for the figure and word "5 year", the figures and word "10 year" shall be substituted.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

21/3/16
(Yacub Xess)
Dy. Secretary
Government of Chhattisgarh
Labour Department